

Registration no: ( 2301400202192083622 ) Date: ( 02-09-2021 ) Valid till: ( 2-9-2024 )



जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय | PATNA  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अधिकारी / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०  
शिक्षा केंद्र, २ कम्पूनिटी सेंटर ०

**विषय :-** बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तुती का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 02-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय LOYOLA HIGH SCHOOL, P.O.SADAQUAT ASHRAM, KURJEE, 800010 . कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 02-09-2021 से 2-9-2024 अवधि के लिए औपचंथिक प्रस्तीक तिप्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीक ति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पढ़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपस्थित नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकाइ नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य गुनिहित किए जाएंगे। :
  - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू के समय वर्तमान में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं पासित करते हैं, ये 5 व के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता पापत कर सकें।
  - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
  - (viii) शिक्षक किसी सत्र पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में गंतव्य नहीं होगे।
- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पालायन एवं पालायनी का अनुसरण करेगा।

- Page No. \_\_\_\_\_
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अलाई में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से हात्रों का नामांकन करेगा।
  10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानवों एवं मानवों को दरकार रखेगा। विद्यालय के अतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निश्चयत:
    - (i) विद्यालय परिसर के क्षेत्र :- 516
    - (ii) कुत निर्भित क्षेत्र :- 516
    - (iii) डेर के मैदान के क्षेत्र :- PLAYGROUND,BASKET BALL COURT,CANTEEN,LIBRARY,LABS
    - (iv) दर्ग लघुओं की कुत संख्या :- 92
    - (v) चान्दालापाल-सह कार्यालय सह-भौमार कक्ष :- 2
    - (vi) बातक टथा दातिकाओं के लिये अहम-असाम शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 35 , Girls 32
    - (vii) प्रेरजन की सुविधा :- 54
    - (viii) नव्याह भोजन के लिये रसेई घर :- 2
    - (ix) बाधारहित पहुँच :-
    - (x) शिखन अधिगम सामग्री डेल-कुट उपकरण/पुस्तकालय :- LIBRARY,COMPUTER LABORATORY,SCIENCE LABS , BASKETBALL, TABLE TENNIS,FOOTBALL , ( Y , 230 , NewsPaper Magazine:- 50 )
11. कोई भी अन्तर्व्वीकृत दर्दका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।
  12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
  13. विद्यालय लोलाईटी रेजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निवारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निवारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी दस्तिक दस्त के नाम से 13 संबंधित होगा।
  14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के ताम के लिए संबंधित नहीं होगा।
  15. हेठा का अंडेफ्रेंच एवं उसका प्रमाणीकरण वार्डर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निवारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक देखा विवरणी की इक छाति प्रतिवर्ष विद्या शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
  16. अपरके विद्यालय को आवार्ट प्रस्तीकृति कोड संख्या [ 2301400202192093622, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को का प्रयोग अनिवार्य उद्धृत किया जाए।
  17. निदेशक, जातिमिक शिक्षा / विद्या शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय-समाय "भाँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्तीकृति की दर्ता के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिहितता हेतु अथवा विद्यालय संचातन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुबालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
  18. यदि लोलाईटी के निवारण के नदीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिहित किया जाए।
  19. अनुलूप्ति के स्वयं में संलग्न अन्य छाते

विद्यासभाजन

५०/-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, PATNA  
सह-सचिव प्रस्तीकृति समिति  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार